न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.　　　　/2016 पुनर्विलोकन (1) R 4035-I-16

143

1 श्रीमती अमनी बाई बेवा शत्रुघन ढीमर

2. हरिशचन्द्र पुत्र स्व. शत्रुघन ढीमर

निवासीगण ग्राम शाहगढ़ वर्तमान तहसील शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. प्रेमबाई पतनी स्व. उत्तम सिंह यादव
2. मुलायम सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह यादव
3. जीवन सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह यादव
4. गंधर्व सिंह उर्फ पर्वत सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह यादव

निवासीगण ग्राम किशनपुरा वर्तमान तहसील शाहगढ जिला सागर

5. देवतीबाई पत्नी ऊधम सिंह

निवासी ग्राम डिलाखेड़ी वर्तमान तहसील शाहगढ जिला सागर

6. चंदा बाई पत्नी इंदर सिंह यादव

निवासी ग्राम फतेहपुर वर्तमान तह. शाहगढ जिला सागर

7. गुडडीबाई पत्नी अमर सिंह यादव

निवासी ग्राम सिमरियां कलां वर्तमान तह. शाहगढ जिला सागर

8. सुशीला बाई पत्नी काशीराम यादव

निवासी बंडा वर्तमान तहसील बंडा जिला सागर

मुकेश भार्गव आभा०
2-12-16
प्रस्तुत
2-12-16
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

654 / 2-12-16

मुकेश भार्गव
2-12-16 एडवोकेट
ग्वालियर

9. अमर सिंहपुत्र गोपीलाल यादव

10. महीप सिंह पुत्र गोपीलाल यादव

दोनों निवासी ग्राम सिमरियां कला वर्तमान तहसील शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय सदस्य एम.के. सिंह राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्र.कं. 1872–II/07 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, आवेदिका श्रीमती अमनी बाई के पति एंव आवेदक कं. 2 हरिशचन्द्र के पिता स्व. शत्रुघन ढीमर के द्वारा नायब तहसीलदार शाहगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 110 के तहत माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बंडा के दीवानी प्रकरण कमांक 24ए/88 आदेश दिनांक 18.9.98 के अनुसार मौजा शाहगढ की भूमि ख.नं. 850, 855, रकवा 135 x 135 फुट पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया। उक्त आवेदन पर से रा.प्र. कं. 4813/बी–121/01–02 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 22.4.02 द्वारा वाद भूमि पर नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध अनावेदक प्रेमबाई एवं अन्य द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बंडा के समक्ष अपील की जो आदेश दिनांक 20.11.2003 द्वारा निरस्त की गई जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने कमिश्नर सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो आदेश दिनांक

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नविलोकन 4035/एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.2.17	यह पुर्नविलोकन आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1872/दो/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन पर विचार किया गया एवं उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जाता है। 1. नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था। सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी। 2. अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती। 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण। आवेदक ने रिव्यू का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारो में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यू आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यू प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हो। सदस्य	